



बेटी बचाओ /Beti Bachao
बेटी पढ़ाओ /Beti Padhao

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय / Andhra Pradesh Regional Office
विजयवाड़ा / Vijayawada

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त – भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/आंध्रप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/2/26-27/ET/142](#)

उक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 18 जून 2026 को दोपहर 3:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, स्टालिन सेंटर, 27-37-158, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002 में आयोजित की गई थी।

2. बोली-पूर्व बैठक में इन सीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया:

(i) ऑफलाइन:

- (क) मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी);
- (ख) मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड; और
- (ग) मैसर्स राइट्स लिमिटेड।

(ii) वेबेक्स के माध्यम से:

- (क) मेसर्स मेकॉन लिमिटेड;
- (ख) मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल);
- (ग) मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (एचआईटीईएस);
- (घ) मैसर्स राइट्स लिमिटेड;
- (ङ) मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड; और
- (च) मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)।



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

3. सीपीएसयू को सभी मुख्य नियम और शर्तें विस्तार से बतलाई गई हैं। सीपीएसयू की ओर से ईमेल के ज़रिए और बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछे गए सवालों पर चर्चा की गई और उन्हें उनकी संतुष्टि के अनुसार स्पष्ट किया गया। सीपीएसयू के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई कि वे काम के दायरे को बेहतर और स्पष्ट रूप से समझने के लिए साइट का दौरा करें।

4. सीपीएसयू ने ईमेल और बोली-पूर्व बैठक के दौरान निम्नलिखित सवाल उठाए थे और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

ईमेल के माध्यम से बोली पूर्व प्रश्न अग्रिम रूप से प्राप्त हो गए थे					
क्रम संख्या	से प्राप्त प्रश्न	आरएफपी खंड संख्या, पृष्ठ संख्या	आरएफपी के अनुसार विवरण	प्रश्न/सुझाव	स्पष्टीकरण
(i)	मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अनुलग्नक II - वित्तीय बोली पृष्ठ संख्या 57	कॉलम डी: उद्धृत प्रतिशत	यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या कॉलम 'डी' में "एजेंसी शुल्क" को जीएसटी सहित उद्धृत किया जाना चाहिए या जीएसटी को छोड़कर।	इसे जीएसटी को छोड़कर उद्धृत किया जाना चाहिए क्योंकि सीपीएसयू के लिए मौजूदा सरकारी मानदंडों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए जीएसटी के लागू प्रतिशत के आधार पर जीएसटी प्रतिशत दर्ज करने के लिए नीचे एक अलग पंक्ति दी गई है। यदि बोलीदाता जीएसटी के परिवर्तनीय स्लैब के अंतर्गत आते हैं तो जीएसटी से पहले की राशि की तुलना पर विचार किया जाएगा।
(ii)	मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	खंड 3. कार्यों का व्यापक दायरा/परियोजना विवरण 3.1 उद्देश्य: पृष्ठ संख्या 14	[नोट: आर्किटेक्ट ब्रीफ (अनुलग्नक XII) में निर्दिष्ट आवासीय फ्लैटों की संख्या और कार्यालय भवन के विन्यास में परिवर्तन की संभावना हो सकती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, परियोजना वास्तुकार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी करने से पहले पीएमसी को सूचित किया जाएगा।]	वित्तीय बोली (अनुलग्नक II) में, पीएमसी को प्रतिशत में अपनी कीमत उद्धृत करनी होगी। इसके अलावा, खंड 9 (एजेंसी प्रभार) में कहा गया है कि पीएमसी को परियोजना की वास्तविक लागत या व्यय मंजूरी, जो भी कम हो, के उद्धृत प्रतिशत	पीएमसी एजेंसी को देय राशि निविदा के खंड 9 के अनुसार होगी। करार के प्रारूप में उल्लिखित पाठ " of Rs___ being the sum " को हटाया गया माना जाए।



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

		<p>9 एजेंसी शुल्क (पीएमसी के शुल्क) पृष्ठ संख्या 22</p>	<p>9.1 एजेंसी प्रभार/पीएमसी के प्रभार समय-समय पर बैंक द्वारा पीएमसी को बैंक को उनके द्वारा एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क होंगे जैसा कि निविदा में निर्धारित किया गया है और पीएमसी द्वारा खंड 17.2 के अनुसार परियोजना की वास्तविक लागत के उद्धृत प्रतिशत (वित्तीय बोली में) पर जीएसटी को छोड़कर या व्यय स्वीकृति (पीएमसी/एजेंसी प्रभारों को छोड़कर) (ख) प्रशासनिक अनुमोदन के समय प्रारंभिक वास्तुशिल्प आरेखण और प्रारंभिक अनुमान, और जीएसटी को छोड़कर, जो भी कम हो, भुगतान की संबंधित शर्तों के अनुसार पीएमसी को इन प्रभारों की कुल सीमा के निर्धारण के लिए अर्हता प्राप्त करता है।</p>	<p>(वित्तीय बोली में) पर एजेंसी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, खंड 3.1 के अनुसार, परियोजना की लागत अस्थायी है और दायरे में बदलाव के कारण भिन्न हो सकती है (यानी निर्माण किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या में संभावित परिवर्तन)। हालांकि, अनुबंध XIV (समझौते के लेख) के अनुसार, पीएमसी को एलओए में बताई गई राशि के रूप में कुल संविदा मूल्य मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमसी को किए गए कार्य के लिए एकमुश्त राशि मिलेगी जबकि बाद के चरण में गुंजाइश अलग-अलग हो सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, करार के उक्त खंड को निम्नानुसार संशोधित करने का अनुरोध किया जाता है: जवाब में कहा गया है, 'आरबीआई द्वारा पीएमसी को किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने रिज़र्व बैंक के साथ संविदा किया है कि वह इस परियोजना को लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के 15वें दिन से 30 महीने के भीतर (तारीख) तक पूरा कर लेगा और संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी तरह से</p>	
		<p>अनुलग्नक II - वित्तीय बोली पृष्ठ संख्या 57</p>	<p>ई-निविदा दस्तावेज में परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण, नियोजन, डिजाइनिंग और परामर्श सेवाओं के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं सहित सेवाओं के लिए "एजेंसी प्रभार" के लिए प्रतिशत (%) में उद्धृत शुल्क निम्नानुसार है।</p>		
		<p>अनुलग्नक XIV - करार का अनुबंध पृष्ठ संख्या 105</p>	<p>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीएमसी को किए जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, परियोजना प्रबंधन सलाहकार एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संविदा करता है कि वह (तिथि तक) (कार्य अवार्ड के पत्र जारी होने के 15 वें दिन से 30 महीने) तक परियोजना को निष्पादित और पूरा कर सके</p>		



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

			<p>और संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी मामलों में उसमें किसी भी दोष को दूर करे। परियोजना और उसमें दोषों का निवारण, _____ रुपये का कुल संविदा मूल्य कार्य अर्वार्ड के पत्र में बताई गई राशि है, जो इस तरह के परिवर्धन या वहां से कटौतियों के अधीन है, जो संविदा के प्रावधानों के तहत संविदा द्वारा निर्धारित समय पर और तरीके से किया जा सकता है। संविदा के अनुसार दोनों पक्षों के दायित्व होंगे।</p>	<p>उसमें किसी भी तरह की खामियों को दूर करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा परियोजना के निष्पादन और पूरा होने और उसमें दोषों के समाधान को ध्यान में रखते हुए पीएमसी को भुगतान करने के लिए अनुबंधित करता है, खंड 17.2 के अनुसार परियोजना की वास्तविक लागत के पीएमसी द्वारा उद्धृत प्रतिशत (वित्तीय बोली में) पर कुल संविदा मूल्य इसके बाद जीएसटी को छोड़कर या व्यय स्वीकृति (प्रारंभिक वास्तुशिल्प ड्राइंग और उस समय प्रारंभिक अनुमान के आधार पर बैंक द्वारा दिए गए पीएमसी/एजेंसी शुल्क को छोड़कर) (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और जो भी कम हो, जो भी कम हो, जो कि संविदा के उपबंधों के तहत संविदा द्वारा निर्धारित समय पर और तरीके से किए जाने के अधीन है। संविदा के अनुसार दोनों पक्षों के दायित्व होंगे।</p>	
(iii)	मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (एचआईटीईएस)	प्रस्तुति प्रस्तुत करना (पृष्ठ 25, पैरा 13.2)	पात्र बोलीदाताओं द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति उन बोलीदाताओं को सूचित की गई तारीख और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जिन्होंने एक उत्तरदायी बोली/वैध बोली प्रस्तुत की है। प्रस्तुति तकनीकी बोली का हिस्सा होगी और तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।	कृपया पुष्टि करें कि क्या पैराग्राफ 13.2 में इंगित प्रस्तुति को तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए, या यदि यह केवल बाद के चरण में आवश्यक है।	प्रस्तुति को तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसे बाद के चरण में प्रस्तुत किया जाना है।
(iv)	मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस	प्रस्तुति के लिए समयरेखा		कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह वही प्रस्तुति मूल्यांकन समिति द्वारा बुलाए	



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

	लिमिटेड (एचआईटीईएस)			गए विस्तृत प्रस्तुति सत्र के दौरान दी जानी है, या यदि बोलीदाता इसमें बदलाव कर सकता है।	
(v)	मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (एचआईटीईएस)	अनुपलब्ध अनुलग्नक		निविदा दस्तावेजों में अनुबंध XII A AND B, 3A, 3B, 1, 2, 2A, 2B और 2C खाली हैं। अस्थायी साइट लेआउट भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपया प्रदान करें।	एचआईटीईएस के प्रतिनिधि को उचित दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए टेलीफोन पर निर्देशित किया गया था, जिसकी पुष्टि उनके प्रतिनिधि ने बोली-पूर्व बैठक के दौरान की थी। दस्तावेजों का नाम शुद्धिपत्र के रूप में दस्तावेजों की सूची में मौजूद Signed_Tender_Document है।
(vi)	मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (एचआईटीईएस)	प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट की फीस में छूट	परियोजना वास्तुकार की भागीदारी के माध्यम से परियोजना की व्यापक योजना और डिजाइनिंग परियोजना की व्यापक योजना, डिजाइनिंग, विस्तृत इंजीनियरिंग और वैधानिक अनुमोदन प्रक्रिया आदि पीएमसी द्वारा एक अनुभवी और सक्षम परियोजना वास्तुकार और सलाहकारों को शामिल करके की जाएगी (जैसे लियासियन आर्किटेक्ट, एमईपी, स्ट्रक्चरल, एचवीएसी, ग्रीन बिल्डिंग, अग्निशमन, बागवानी और/या कोई अन्य आवश्यकतानुसार)। परियोजना वास्तुकार को सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से पीएमसी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।	13.05.2026 को केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई में आरबीआई के कार्यपालक निदेशक और सभी सूचीबद्ध सीपीएसयू के साथ बैठक का संदर्भ देते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि पीएमसी परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क में प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट शुल्क शामिल नहीं है। हालांकि, प्रतियोगिता द्वारा परियोजना वास्तुकार के चयन के लिए निविदा पीएमसी द्वारा की जाएगी। (देखें खंड: 15.1.1.5, खंड 9 और खंड 1.iv)	संदर्भित बैठक में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुरोध पर निर्णय अभी पूरा किया जाना है। इस निविदा में खंड अपरिवर्तित जारी रहेगा।
(vii)	मैसर्स राइट्स लिमिटेड	आरएफपी के खंड संख्या 15.1.3.15 (पृष्ठ 43) (अनुलग्नक	पीएमसी किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, रॉयल्टी मुद्दे के उल्लंघन और परियोजना के संबंध में श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी	यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक सलाहकार/पीएमसी की भूमिका एक ठेकेदार से मौलिक रूप से अलग है। पीएमसी ग्राहक की ओर से एक	1. देयता में 10% कैपिंग और बोली जमा करने की तारीख के विस्तार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है।



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

		<p>VI- व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप)।</p>	<p>विवाद के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड इस निविदा के अनुलग्नक VI में प्रदान किया गया है, जो विधिवत पंजीकृत है, कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	<p>सलाहकार और पर्यवेक्षी भूमिका में कार्य करता है, इसकी शुल्क संरचना में मुख्य रूप से जनशक्ति तैनाती और संबंधित स्थापना लागत शामिल होती है जो शुद्ध परामर्श शुल्क का 90% से अधिक है, और केवल एक सीमित मार्जिन के साथ लाभ का गठन करता है। इसके अलावा, परियोजना निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दे आवश्यक रूप से परामर्श सेवाओं में कमियों से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन कार्यान्वयन के दौरान साइट की स्थितियों या संविदात्मक व्याख्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि</p> <p>1) ऊपर उल्लिखित उपरोक्त खंड संख्या 15.1.3.15 (पृष्ठ 43) के तहत पीएमसी एजेंसी की समग्र देयता कृपया अनुबंध के तहत देय कुल पीएमसी/परामर्श शुल्क के 10% से अधिक नहीं तक सीमित हो सकती है।</p> <p>2) बोली जमा करने की तिथि 06 जुलाई, 2026 से आगे 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है।</p>	<p>2.2. खंड 15.1.3.15 निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: 15.1.3.15 - पीएमसी डिजाइन जिम्मेदारी के किसी भी उल्लंघन के साथ-साथ किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, रॉयल्टी मुद्दे के उल्लंघन पर और परियोजना के संबंध में श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी विवाद के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। विधिवत पंजीकृत इस निविदा के अनुलग्नक VI में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो पीएमसी एजेंसी परियोजना वास्तुकार/ठेकेदार के साथ अपने करार में उपयुक्त खंड शामिल कर सकती है।</p> <p>3. अनुलग्नक VI के तीसरे पैरा के पाठ को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: और जबकि (क्षतिपूर्तिकर्ता का नाम) भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी क्षति, व्यय, देयता, हानि या दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षतिपूर्तिकर्ता का नाम) डिजाइन उत्तरदायित्व (वास्तुकला, संरचनात्मक और एमईपी, अग्निशमन सहित) के किसी भी उल्लंघन के साथ-साथ परियोजना के सेवा जीवन के पूरा होने तक किसी भी</p>
--	--	---	---	--	---



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

					पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा और रॉयल्टी मुद्दे के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकता है। (क्षतिपूर्तिकर्ता का नाम) परियोजना के संबंध में श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी विवाद के लिए आरबीआई को क्षतिपूर्ति भी करेगा।
(viii)	मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)	निर्माण का तरीका	यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि निर्माण के किस ईपीसी मोड का उपयोग किया जा रहा है।		कार्य का दायरा और भुगतान के नियम और शर्तें निविदा खंडों में स्पष्ट रूप से विस्तृत हैं। निविदा में विनिर्दिष्ट कार्य के दायरे के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाना है।
(ix)	मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)	आर्किटेक्ट चयन मापदंड	यह अनुरोध किया जाता है कि वास्तुकार के लिए चयन मानदंड स्पष्ट किया जाए।		आर्किटेक्ट के लिए चयन मानदंड पीएमसी एजेंसी द्वारा निविदा में उल्लिखित संदर्भ की शर्तों (खंड 15.1.1) के अनुपालन में तैयार किया जा सकता है। आर्किटेक्ट ब्रीफ (अनुलग्नक XII) में उल्लिखित बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना योजना, डिजाइनिंग और उसे सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए संगत सबसे उपयुक्त परियोजना वास्तुकार (संभावित प्रतिभागियों में से) को बोर्ड पर रखने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें अवधारणा डिजाइन का प्रस्ताव भी शामिल है जो बैंक की आवश्यकताओं के सबसे निकट है।



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

					तदनुसार, पीएमसी एजेंसी द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली/चयन मानदंड को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
(x)	मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)	खंड 5.4 भाग I/तकनीकी बोली	तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे iii) बोलीदाता बोली/तकनीकी बोली के अपने भाग-I के साथ निम्नलिखित जानकारी का विस्तृत विवरण अपलोड करेंगे: बी) आर्किटेक्ट विजन	यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया तकनीकी बोली (भाग-I) के लेखन से प्रस्तुति चरण तक वास्तुशिल्प दृष्टि को स्थगित करने पर विचार करें। यह देखते हुए कि वास्तुशिल्प दृष्टि स्वाभाविक रूप से एक विकसित अवधारणा है जो डिजाइन सोच प्रक्रिया के माध्यम से परिपक्व और सुधार करना जारी रखता है, बोली जमा करने के चरण में इसे कैप्चर करना बोली लगाने वाले की वास्तविक क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। प्रस्तुति के दौरान इसका मूल्यांकन करने से अधिक गतिशील, परिष्कृत और व्यापक मूल्यांकन की अनुमति मिलेगी। इसलिए, कृपया इसे प्रस्तुति चरण का हिस्सा बनाने पर विचार करें।	तकनीकी बोली में बोलीदाता द्वारा वास्तुशिल्प दृष्टि को संक्षेप में दिया जा सकता है जिसे बाद में प्रस्तुति के दौरान विस्तृत किया जा सकता है।
प्री-बिड मीटिंग के दौरान प्रश्न					
(xi)	मेसर्स मेकॉन लिमिटेड	डिजिटल हस्ताक्षर		कृपया पुष्टि करें कि निविदा दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है या नहीं और एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है	निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों को या तो भौतिक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जानी चाहिए या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और अपलोड किया जाना चाहिए। हालांकि, एमएसटीसी पोर्टल में निविदा प्राप्त



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

					करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की आवश्यकता होगी।
(xii)	मेसर्स ईआईएल लिमिटेड और मेसर्स मेकॉन लिमिटेड	समयसीमा (अनुलग्नक X)	निर्माण शुरू करने की समय-सीमा करार की तारीख से 06 महीने है।	कृपया इस समयसीमा को 8-9 महीने तक बढ़ाने पर विचार करें।	नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(xiii)	सभी प्रतिभागियों से सामान्य प्रश्न	स्थान मानचित्र और निर्देशांक		बोलीदाताओं के साइट विजिट को सक्षम करने के लिए कृपया कार्यालय और निवास दोनों साइटों के स्थान मानचित्र और निर्देशांक साझा करें।	कार्यालय और निवास दोनों स्थलों का स्थान मानचित्र और निर्देशांक संदर्भ के लिए संलग्न हैं।
अन्य स्पष्टीकरण और निर्देश					
(xiv)	यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट बैंक में भौतिक रूप से बयाना राशि जमा (ईएमडी) के बदले बैंक गारंटी प्राप्त करने की तारीख और समय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में ईएमडी प्रस्तुत करने के मामले में भी लागू होता है।				
(xv)	सभी संभावित बोलीदाताओं से निविदा में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध किया गया था।				

कृपया ध्यान दें:

- (i) यह दस्तावेज़ (बोली-पूर्व बैठक का विवरण) निविदा का एक भाग होगा।
- (ii) बोली दस्तावेज़ के शेष नियम एवं शर्तें तथा विनिर्देश अपरिवर्तित बने रहेंगे।
- (iii) उक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जा रहे हैं।
- (iv) फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।



बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन हेतु पैनलबद्ध सीपीएसयू से आंध्र प्रदेश, अमरावती, नेलापाडु में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु और आंध्र प्रदेश, अमरावती, इनावोलु में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

अनुलग्नक-1

प्रतिभागियों की सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक

क्र.सं.	नाम (श्री)	पदनाम
1.	महर्षि गर्ग	उप महाप्रबंधक (तकनीकी-सिविल)
2.	एस कृष्ण कुमार	उप महाप्रबंधक
3.	एन पृथ्वी राजु	प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)

संगठन / फर्म के प्रतिनिधियों - ऑफलाइन / भौतिक

क्र.सं.	नाम (श्री)	संगठन / फर्म
1.	बी भरत कुमार	मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)
2.	एम विनोद कुमार	मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
3.	विजय कुमार पी	मेसर्स राइट्स लिमिटेड

संगठन / फर्म के प्रतिनिधियों - वेबेक्स के माध्यम से

क्र.सं.	संगठन / फर्म
1.	मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
2.	मेसर्स राइट्स लिमिटेड
3.	मेसर्स मेकॉन लिमिटेड
4.	मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
5.	मेसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड (एचआईटीईएस)
6.	मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
विजयवाड़ा